न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः—23/2023 (GCMS No. 2023/24) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामादेवी पत्नि दिनेशसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम रौंसी तहसील नादौती जिला करौली।

..... अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, करौली।
2. उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नादौती क्रमांक राजस्व/2022/1822 उनवानी रामादेवी बनाम सरकार निर्णय दिनांक 19.10.2022

उपस्थितिः— 1. श्री विजयसिंह कुन्तल, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 12.04.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी नादौती के निर्णय दिनांक 19.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि उपखण्ड अधिकारी नादौती द्वारा अपने आदेश में मात्र खसरा नम्बर 3004/514 से नजदीकी ईंट भट्टे की दूरी 400 मीटर है जबकि नियमानुसार 2 ईंट भट्टों के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर होना आवश्यक है के आधार पर अपीलान्ट की रूपान्तरण पत्रावली निरस्त कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस अपीलान्ट सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। उपखण्ड अधिकारी नादौती द्वारा अपने आदेश में मात्र खसरा नम्बर 3004/514 से नजदीकी ईंट भट्टे की दूरी 400 मीटर है जबकि नियमानुसार 2 ईंट भट्टों के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर होना आवश्यक है, के आधार पर अपीलान्ट की रूपान्तरण पत्रावली को निरस्त कर दिया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने आदेश मे यह कही भी अंकित नहीं किया कि नजदीकी रूपान्तरित भट्टा कौन से खसरा नम्बर में स्थित है जबकि दो भट्टों की दूरी बावत् अंकन करने से पूर्व संचालित रूपान्तरण रजिस्टर्ड भट्टे का खसरा नम्बर अंकित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार आदेश स्पीकिंग नहीं है और नॉन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता। रूपान्तरण की पत्रावली में तहसीलदार नादौती से मौका रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 को मंगवाई गई जो रिपोर्ट तहत न्यायायल में दिनांक 20.05.2022 को संलग्न पत्रावली की गई। इस रिपोर्ट में कहीं भी यह तथ्य अंकित नहीं है कि कोई दीगर ईंट भट्टा 1 किलोमीटर दूरी पर संचालित हो रहा है। तहसीलदार की रिपोर्ट को अनदेखा किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार नादौती की दूसरी रिपोर्ट दिनांक 08.09.2022 को तलब किया गया जिस पर तहसीलदार नादौती द्वारा मौका देखकर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक एवं स्वयं तहसीलदार द्वारा मौका देखकर पूर्ण पैमाईश करते हुये दूसरे ईंट भट्टों की दूरी 1050 मीटर अर्थात 1.05 किलोमीटर होना अंकित किया है। अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 3004/514 के रूपान्तरण हेतु इस नम्बर की पहुँच हेतु रास्ते के लिए खसरा नम्बर 3023/3012 में से 0.05 है0 भूमि समर्पण की थी जिसका समर्पण स्वीकार कर सरकार के खाते में दर्ज कर दी गई। अपीलान्ट के खसरा नम्बर 3004/514 से 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर कोई भी रूपान्तरित रजिस्टर्ड ईंट भट्टा संचालित नहीं हो रहा है और न ही कोई इस प्रकार का रिकार्ड पत्रावली पर मौजूद है। अपीलान्ट द्वारा अपनी रूपान्तरण की पत्रावली की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई जिसमें दो बार तहसीलदार द्वारा भेजी गई मौका रिपोर्ट, प्रारूप 4 (नियम 19क) चैकलिस्ट, ग्राम पंचायत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन. स्वा. अभि. विभाग, विद्युत विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र, उक्त सभी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर पत्रावली ऑनलाईन कर ऑफ लाईन प्रति कार्यालय उपखण्ड अधिकारी में जमा करा दी गई। उसके बाद रूपान्तरण शुल्क निर्धारित कर दिनांक 09.09.2022 को पत्रावली पूर्ण कर दी गई। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.02.2023 को तहत न्यायालय में जाकर पत्रावली की जानकारी करने पर उक्त आदेश दिनांक 19.10.2022 की जानकारी प्राप्त हुई तथा नकल चाहे जाने पर दिनांक 13.02.2023 को नकल प्राप्त हुई जिसकी अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 19.10.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की भूमि का रूपान्तरण किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2022 के विरूद्ध अपील दिनांक 14.02.2023 को दायर की गई है। विलम्ब के संबंध में प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ प्रस्तुत किया जिसमें अपीलाधीन आदेश की जानकारी 13.02.2023 को प्राप्त हुई। आदेश की जानकारी प्राप्त होते ही अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है।

7. उपखण्ड अधिकारी नादौती द्वारा बिना किसी स्पीकिंग आदेश के सरसरी तौर पर यह उल्लेखित करते हुये कि अपीलान्ट के खसरा नम्बर 3004/514 से नजदीक की ईंट भट्टे की दूरी लगभग 400 मीटर है जबकि नियमानुसार दो ईंट भट्टों के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर होना आवश्यक है, के आधार पर रूपान्तरण आवेदन खारिज कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दिया। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नादौती की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 08.09.2022 में उल्लेख किया गया है कि उक्त खसरे की चिमनी से नजदीक दूसरे भट्टे की दूरी 1050 मीटर की है। इसी आधार पर तहसीलदार नादौती द्वारा दिनांक 09.09.2022 को अपनी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को भेजी, जिसमें भी उक्त खसरे की चिमनी से नजदीक दूसरे भट्टे की बीच की दूरी 1050 मीटर का उल्लेख किया है। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलान्ट के खसरे से नजदीक दूसरे ईंट भट्टे की दूरी 400 मीटर के लगभग हो। अपीलाधीन आदेश में 400 मीटर किस आधार पर उल्लेखित किया गया है, उसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के मत में अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी नादौती का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट के खसरे पर स्थित चिमनी के नजदीक दूसरे ईंट भट्टे की स्थिति, उसके खसरा नम्बरान व दूरी की विधिवत जॉचकर पुनः विधि सम्मत निर्णय अन्दर 2 माह पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.04.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर